

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

जत उप जिला कलेक्टर

मुकाम

अंदाकू

केलारा

बनाम

हराम

हदमा

नाम इतहदी


नं०

222/2021

सन्

प्र	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-----	----------------------------------	--

021 पत्रावली छत्रामन गावों ले संग अनिपान विधि  
 श्यामलाल काला मे पैदा हरी प्राची प्रबन्धन  
 पत्र बाबत परवली दलमा ILR सद्वीतिया एव  
 अरेपय ग्राम पंचायत श्यामलाल काला की  
 अयुक्त जज रिपोर्ट प्राप्त की गई जो कि  
 पुलाव प्रहारा की गर्व:- अपाचार्य उपजिला  
 कोषाध्यक्ष महो० मे विभागाधीन पत्रावली 222  
 इतवान कोतारा वगैरे बनाम राजचरण अरेपय  
 ग्राम काठ बगीची की दाय जमाबन्दी संवत्  
 2076-79 ले खता सं० 88 मे वादीगण ले पिता  
 1 प्रति रूपचन्द पुत्र हीतर हिनो जारी खेला  
 काठ देह खेतपार जने रिफाई हो वादीगण भपने  
 पिता का नाम रूपचन्द की पुलाव रूपलाल  
 लखवाणी-पाहो हो पत्रावली मे शामिल भाधर  
 काठ, पहचान पुत्र, पैदान प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत  
 मे-नी वापिसाण ले पिता का नाम रूपलाल  
 पत्र हो भजमे ज्ञात मे उपस्थित मे जज  
 कोष पर कताप की रूपचन्द व रूपलाल  
 दोनो एक ही व्यक्ति के नाम हो इन्ले प्रस्तुत  
 मे शुद्ध नाम रूपलाल पुत्र हीतर हो जो शुद्ध  
 नाम हो ग्राम काठ बगीची ले खता सं० 88  
 मे रूपचन्द पुत्र हीतर ले खता शुद्ध नाम  
 रूपलाल पुत्र हीतर किये जाने की अनिच्छा  
 की गई हो

केलारा खर  
 सु० २१/०५  
 श्रीमान राम  
  
 2. 10  
 21/4/21  
 सुशरणा  
 रामरुद्र  
 अनीता



हमने पहली दफ्तर ILR तहसीलदार कर्म  
 एवं संरक्षक ग्राम पंचायत आलायत कर्म की  
 संख्या ज्ञान रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध  
 पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया  
 गया व सामान से -नी जमावारी  
 करने पर रूप-च-प व रूपमान्य एका ही  
 व्यक्ति होना पाया गया है।

उपरोक्त विवेक के आधार पर धारणा  
 के पिता/पति का श्राद्ध नाम रूप-च-प पुत्र  
 हीतर के स्थान पर रूपमान्य पुत्र हीतर श्राद्ध  
 किया जाना उचित समझा है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम साठ-  
 मीनी की जमावारी सम्वत् 2076-2079  
 श्राद्ध संख्या नम्बर 88 पुत्रा 81 पिता 6  
 में पति नाम रूप-च-प पुत्र हीतर के स्थान  
 पर श्राद्ध नाम रूपमान्य पुत्र हीतर पति  
 किया जावे। तहसीलदार कर्मचारी नाम तहसील  
 दार शरद्वर रिपोर्ट में निम्नानुसार सामान  
 परामर्श करे, तहसीर जारी हो पुनर्वत्  
 प्रमाण गुणार होकर साधु राजमोप दासिम  
 पत्रावली किया जाये। निरविशुनाप गमा।

नीरज कुमार मीना

उप. जिला

बांदीकुई (बिहार)

संख्या 100/2018

दिनांक 20/08/2018